

सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यापणीय (Non-Refundable)

अग्रिम की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

वित्त विभाग के पत्रांक 02.1012/72-2438 दि. दिनांक 7.3.1973 पर आधारित प्रपत्र

1. आवेदक का नाम एवं पदनाम :-
2. कार्यालय का नाम :-
3. लेखा संख्या :-
4. आवेदक की सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि :-
5. कुल सरकारी सेवा की अवधि (आवेदन की तिथि से) :- वर्ष महीना दिन
6. सेवा निवृत्ति की तिथि :-
7. अपेक्षित अग्रिम किस कार्य हेतु लेना चाहते हैं :-
8. अपेक्षित अग्रिम की राशि -
9. आवेदक के खाते में अद्यतन कुल जमा राशि (इसकी जाँच हेतु महालेखाकार से प्राप्त अंतिम लेखा पूर्व की मूल प्रति या अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना है एवं इसके बाद के जमा राशि का पूर्ण ब्योरा टी.भी संख्या के साथ संबंधित लेखापाल/निकारी पदाधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना है :-
10. आवेदक द्वारा लिया गया पूर्व के ऐसे अस्थायी अग्रिमों का ब्योरा जिसकी कटौती अभी जारी है या स्थगित रखी गयी है।
11. जिस कार्य हेतु यह अग्रिम लिया जा रहा है इसी कार्य हेतु क्या इसके पूर्व आवेदक द्वारा उसके सामान्य भविष्य निधि या अन्य कोई सरकारी स्रोत से अग्रिम लिया गया है अथवा नहीं ?
12. अगर (11) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उस संबंध में पूर्ण सूचना।
13. अभ्युक्ति (अगर कोई कारण हो) :-

आवेदक का हस्ताक्षर

लेखापाल का हस्ताक्षर